<u>प्राथमिकता/मुख्यमंत्री संदर्भ</u>

संख्या-3/1068/30-4-2013-8(67)/12

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 01 नवम्बर, 2013

विषय:- ड्राइविंग लाइसेंस हेतु वॉछित चिकित्सा प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को अधिकृत/नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उ0प्र0 के पत्र संख्या-24 (प0म0)सा0प्र0/2013-टी-53टीआर/84-13, दिनांक 11 जून, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध करायी गयी आख्या में मात्र वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तथा डा0 सत्यदेव शर्मा के मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 8(3) के अधीन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर को वॉछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत/नामित किये जाने के सम्बन्ध में कोई तथ्यात्मक आख्या/औचित्य का उल्लेख नहीं किया गया है। अत: कृपया तथ्यात्मक आख्या औचित्य सहित शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shashanadesh.up.nic.in